आशु वगै0 बनाम पार्वती, सरकार

अपीला संख्या .15/105

16.02.2018	पत्रावली पेश हुई । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पर उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.03.2015 को अपने पूर्वज रामदेव व हजारी व नन्दकिशोर के खातों की नकलें प्राप्त करने हेतु राजस्व रिकॉर्ड में जाने तथा उक्त आराजी रामदेव व हजारी, नन्दकिशोर के खाते की होने तथा उक्त आराजी पर निर्णय जेर अपील जेर के तहत रेस्पोडेन्ट कम 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड के खातेदार के रूप में अंकित होने की जानकारी होने पर दिनाक 20.03.2015 को नकल निर्णयव डिक्री की प्राप्त की तथा यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में एआईआर 1960 एससी पेज 100, आरआरटी 2011 पेज 721 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडन्ट एक ही गॉव के निवासी है और वादग्रस्त आराजी भी उसी गॉव में स्थित है । उक्त आराजी के बाबत् रेस्पोडेन्ट ने जो वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था उसमें अपीलान्ट के पिता ने इकबाली जवाबदावा दिनांक 09.12.1986 को स्वयं व अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर पेश किया है और व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहे हैं । अपीलान्ट को उक्त वाद के सभी तथ्यों की उन्हें पूर्ण जानकारी रही है । वाद डिक्री होने के पूर्व वक्त खरीद से ही आराजी पर रेस्पोडेन्ट का निरन्तर व अबाध रूप से आज तक कब्जा काश्त रहा है और उक्त निर्णय की पालना में उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुकी है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के पिता रामदेवा की मृत्यु वर्ष 2011 में हो गई थी । प्रस्तुत प्रकरण में धारा 05 का प्रार्थना पत्र केवल आशु की तरफ से दिया गया है और अपीलान्ट की तरफ से प्रस्तुत नहीं किया है । अपीलान्ट ने राजस्व रिकॉर्ड से जमाबन्दी सन् 2019 व नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 13.11.2014 को आवेदन दिया और उक्त नकलें दिनांक 02.12.2014 को प्राप्त की गई हैं तथा जमाबन्दी की नकल हेतु आवेदन दिनांक 18.03.2015 को किया गया और उक्त नकल उसी दिन प्राप्त हो गई । इस प्रकार दिनांक 19.03.2015 काल्पनिक व असत्य तारीख है और सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक गलत है । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट व उसके पिता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्रारम्भ से ही है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2017 (1) आरआरटी पेज 117, 2016–17 आरआरटी पेज 158, 2016 (2) आरआरटी पेज 1381, 2015 (1) आरआरटी पेज 435, 1995 (1) डब्ल्यू.एल.सी. (राज0) पेज 302, 2015 (5) डब्ल्यूएलसी (राज0) पेज 53, आरबीजे (17) 2010 पेज 289, 2010 (1) डीएनजे (राज0) पेज 400, 2010 डीएनजे (एससी) पेज 294, 2014 (1) आरआरटी पेज 502 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 निरस्त कर अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.1987 के विरूद्ध दिनांक 24.03.2015 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है जो लगभग 28 वर्ष बाद प्रस्तुत की है । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के जो कारण दर्शित किये हैं वह पर्याप्त एवं संतोषप्रद नहीं हैं क्योंकि अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के कोई संतोषप्रद कारण दर्शित नहीं किये हैं । वैसे भी विधि के अनुसार विलम्ब के प्रतिदिन के हिसाब से कारण दर्शित करने चाहिए परन्तु अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई कारण अपने प्रार्थना पत्र में दर्शित नहीं किया है उनके कथनों की पुष्टि होती हो । इस प्रकार अपीलान्ट ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के कोई स्पष्ट एवं संतोषप्रद कारण दर्शित नहीं किये है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट एवं रेस्पोडन्ट एक ही गॉव के निवासी है और वादग्रस्त आराजी भी उसी गॉव में स्थित है । उक्त आराजी के बाबत् रेस्पोडेन्ट ने जो वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था उसमें अपीलान्ट के पिता ने इकबाली जवाबदावा दिनांक 09.12.1986 को स्वयं व अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर पेश किया है और व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहे हैं । अपीलान्ट को उक्त वाद के सभी तथ्यों की उन्हें पूर्ण जानकारी रही है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना में उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुकी है । इस प्रकार अपीलान्ट ने विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह संतोषजनक एवं पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किये हैं ।

2014 (1) आरआरटी पेज 502 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अभिनिर्धारित किया है कि – राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 – धारा 230 परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा 5 – विलम्ब का शमन – अपील पेश करने में राजस्व अपील प्राधिकारी ने विलम्ब शमन किया – निगरानी अपील पेश करने में 46 वर्ष का विलम्ब – अनुसूचित जाति की भूमि का गैर अनुसूचित जाति को हस्तान्तरण – प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश किया ओर तनकी विरचित की – बहस के दौरान प्रतिवादी का वकील मौजूद था – तर्क सुनवाई का अवसर नहीं दिया, सही नहीं है व स्वीकार योग्य नहीं है – के की मृत्यु पर अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया – यह स्वीकार योग्य नहीं है कि 46 वर्ष तक डिक्री व निर्णय की जानकारी नहीं थी । उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है । **2017 (1) आरआरटी पेज 117 में** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 धारा – 5 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 धारा 100 विलम्ब का शमन – अपील

पेश करने में 2344 दिनों का विलम्ब मुवक्किल की निष्क्रियता और सुस्ती– उदार दृष्टिकोंण नहीं अपनाया जा सकता अन्यथा यह मियाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा – विलम्ब स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं – प्रार्थना पत्र व अपील खारिज योग्य हैं । **आर.एल.डब्ल्यू. 2001 (राज.) पृष्ठ संख्या 923** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते हुए यह अभिमत दिया है कि विलम्ब माफी चाहने वाले पक्षकार हेतु यह आवश्यक है कि वह पर्याप्त कारणों का उल्लेख करें । **2010 (2) आर.आर.टी. पेज 801** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 – विलम्ब का शमन – पर्याप्त कारण– अपील पेश करने में तीन दिन का विलम्ब – विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट नही किया जिससे अपील व प्रार्थना पत्र खारिज किया । उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में चस्पा होता है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कोई संतोषप्रद स्पष्ट कारण दर्शित नहीं किये हैं । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के कथनों की पुष्टि नहीं होती है और जब तक विलम्ब के स्पष्ट संतोषप्रद कारण दर्शित नहीं किये जाते जब तक विलम्ब अवधि को क्षम्य नहीं किया जा सकता । प्रस्तुत प्रकरण में **2014 (1) आरआरटी पेज 502** पूर्णतया चस्पा होता है क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के पिता द्वारा इकबालिया जबावदावा प्रस्तुत किया था इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपीलान्ट के पिता को पूरी तरह से थी ऐसी स्थिति में विलम्ब अवधि **2014 (1) आरआरटी पेज 502** की रोशनी में क्षम्य किये जाने योग्य नहीं है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से तथा विलम्बित अवधि क्षम्य किये जाने योग्य नहीं होने से अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.1987 बहाल रखा जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 16.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा